न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 470/2015

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जोगाराम पुत्र हरदेव जाति बावरी निवासी पिपलिया खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)		1. प्रेमराम पुत्र श्री छगनाराम जाति बावरी निवासी लासनी तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजूः.18/112015

- उपस्थितः. 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, वादी।
  2. श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 18/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा पिपलिया खुर्द में कृषि भूमि खसरा नम्बर 416 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा आई हुई है। नकल जमाबंदी साथ पेश है। वादी के पिता हरदेव फौत हो चुके है। वादी हरदेवराम का पुत्र है जो भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है। प्रताप फौत हो चुके है जिनका विधिक वारिस वादी है। खसरा नम्बर 416 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रतिलिपी दावा के साथ पेश है जो दावा का भाग माना जावे। उक्त भूमि में प्रतिवादी का कोई हक, अधिकार व हिस्सा नही है बल्कि बिना किसी अधिकार के बलपूर्वक उक्त भूमि में दिनांक 15/11/2015 को निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया जो वादी ने निर्माण कार्य रोकने हेतु कहा तो प्रतिवादी टन्टा पसाद करने लग गया तथा उसने ऐलानिया कहा कि मै इस भूमि में मकान बनाऊंगा जो तुम्हारी कार्यवाही हो वह कर लेना मै किसी भी हालत में निर्माण कार्य नही रोकूंगा इस प्रकार प्रतिवादी बिनाकिसी अधिकार के खसरा नम्बर 416 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा में अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहा है। इसलिए उसे रोका जाना आवश्यक है अन्यथा दावा करने का मकसद ही खत्म हो जायेगा। वादी की और से प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। बिनाय दावा दिनांक 15/11/2015 को सरहद मौजा पिपलिया खुर्द में कृषि भूमि खसरा नम्बर 416 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15/11/2015 को अवैध रूप से निर्माण करने पर बमुकाम पिपलिया खुर्द मं उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे सा0मि0 किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प पिपलिया खुर्द पेश हुई है पत्रावली का

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया गया। प्रतिवादी वकील को जबाब दावा पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये गये। कोर्ट राशि पर भी चार अवसर दिये गये है। बाबजूद जबाब दावा पेश नहीं करने से जबाब दावा का अवसर बंद किया जाता है।

पत्रावली मय दस्तावेजात तथा जमाबंदी संवत् 2070–2073 का गहनता से अवलोकन किया गया। वस्तुतः मौजा पिपलिया खुर्द में स्थित खसरा नम्बर 416 रकबा 4–04 बीघा में वादी रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी खातेदार/ सह खातेदार दर्ज नहीं है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र– पिपलिया खुर्द में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। वादी अपनी आराजी का खातेदार काश्तकार हैं। माफिक हक हिस्से अनुसार वादी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक कार्य करें, तो प्रतिवादीगण स्वयं उनके हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि को दखलन्दाजी एवं किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। सरहद राजस्व मौजा–पिपलिया खुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 416 रकबा 04–04 बीघा किस्म बारानी अव्वल में माफिक हक हिस्से अनुसार वादी अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक कार्य करें, तो प्रतिवादीगण स्वयं उनके हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि को दखलन्दाजी एवं किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पिपलियाखुर्द पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner